न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2022/436

1. बजरंग लाल पुत्र कुरड़ाराम, जाति माली, निवासी वार्ड नम्बर 51, मोतीसिह की ढाणी, झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
2. पवन कुमार पुत्र कुरड़ाराम, जाति माली, निवासी वार्ड नम्बर 51, मोतीसिह की ढाणी, झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
3. महेन्द्र कुमार पुत्र बजरंग लाल जाति माली, निवासी वार्ड नम्बर 51, मोतीसिह की ढाणी, झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
4. बाबूलाल पुत्र सत्यनारायण सैनी जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 41, मोती सिंह के कुए के पास झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू राजस्थान।
5. नरेन्द्र कुमार सैनी पुत्र सोहन लाल सैनी जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 41, बगड़ रोड़, तहसील व जिला झुन्झुनू राजस्थान।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. ईश्वर सिंह पुत्र किशन सिंह जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 17, स्टेशन रोड़ चिडावा तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. ख्यालीराम पुत्र नागरमल जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 51, झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. ओमपकाश सैनी पुत्र श्री नन्दलाल सैनी जाति माली निवासी अशोक नगर बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू।
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक, तहसीलदार झुन्झुनू जिला झुन्झुनू राजस्थान।
5. विनोद पुत्र सत्यनारायण सैनी जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 51, झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–
1. श्री हरलाल सिंह एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री सावंतराम गुर्जर एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 23.01.2023

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि राज्य सरकार द्वारा मौके पर प्रचलित रास्तों के समस्त निराकरण अभियान 2016 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु रास्तों का प्रस्ताव जरिये तहसीलदार भिजवाकर उनको राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का परिपत्र दिनांक 16.08.2016 को जारी किया गया था जिसके अनुसार झुन्झुनू कस्बा में खेतों का रास्ता जो खसरा नम्बर 2181, 2185, 2186 व 2199 में

P.T.O.

प्रचलित रास्ता जाता था जिसको पटवारी व तहसीलदार ने जॉच कर उक्त राज्य सरकार के आदेशानुसार उक्त खसरा नम्बरान में जो रास्ता प्रचलित था उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में अनुसंधान उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा दिनांक 09.12.2016 को उक्त खसरा नम्बरान में प्रचलित रास्तो को कटान करने का आदेश दिया गया तथा राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस में उक्त आदेश की पालना व प्रभाव में अंकन किया गया। उन्होने आगे कथन किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के उक्त आदेश दिनांक 09.12.2016 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ख्यालीराम द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष एक अपील भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई जिसमें न्यायालय श्रीमान् द्वारा अपील संख्या 323/2019 उनवानी ख्यालीराम बनाम राजस्थान सरकार के रूप में दर्ज कर दिनांक 11.12.2019 को अपील स्वीकार कर अपीलार्थी ख्यालीराम के हक व हिस्से तक उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 09.12.2016 को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया तथा उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 09.12.2016 के विरूद्ध एक अन्य अपील एक अन्य व्यक्ति ताराचन्द पुत्र मघाराम द्वारा अपील संख्या 354/2017 उनवननी ताराचन्द बनाम राजस्थान सरकार के रूप मे न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे न्यायालय श्रीमान् द्वारा निणर्य दिनांक 27.08.2018 द्वारा निरस्त कर दी तथा न्यायालय श्रीमान् के आदेश में यह अंकित किया कि अपीलाधीन आदेश पटवारी व तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त आराजी में मौके पर रास्ता स्थायी रूप से चालू होने पर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2016 पारित किया गया जिसमे किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी संख्या 1 लगायत 3 भूमि खसरा नम्बर 2200 रकबा 1.83 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2201 रकबा 1.35 हैक्टयर के व अपीलार्थीगण संख्या 4 व 5 भूमि खसरा नम्बर 2181 व 2186 कस्बा झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू के काबिज खातेदार काश्तकार है तथा उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थीगण के नामं अंकित है तथा अपीलार्थीगण उपरोक्त रास्ता का उपयोग व उपभोग करते है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने एक भूखण्ड के विक्रय पत्र को आधार बनाकर विपक्षीगण को नाजायज फायदा पहूँचाने के लिऐ यह अंकित करते हुए भूखण्ड के विक्रय पत्र में रास्ता चार फीट नक्शे में दर्शाया हुआ है इसलिये चार फीट ही चौड़ा है, इसलिये निर्णय दिनांक 09.12.2016 को खारिज किया जाता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा सिर्फ कयास के आधार पर बिना किसी विधिक आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.06.2022 पारित किया है जो विधि विरूद्ध एवं रिकार्ड व पत्रावली के विपरित होने से खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा दिनांक 12.03.2021 को जिला कलक्टर

झुन्झुनू को अपील संख्या 170/2020 उनवानी विनोद बनाम राजस्थान सरकार में मौका रिपोर्ट प्रेषित की है जिसमे स्वयं ने यह माना कि है कि खसरा नम्बर 2181 की पश्चिम सीमा के साथ खसरा नम्बर 4468/2186, खसरा नम्बर 2185 की पश्चिम सीमा के साथ खसरा नम्बर 4468/2186, खसरा नम्बर 2185 की पश्चिम सीमा के साथ खसरा नम्बर 4669/2185 और खसरा नम्बर 2199 की पश्चिम सीमा के साथ स्थित खसरा नम्बर 4470/2199 में मौके पर लगभग 12 फीट चौड़ाई का रास्ता चालू है, खसरा नम्बर 2181 और 2186 में आबादी बसी हुई, उपरोक्त फर्द मौका रिपोर्ट से स्पष्ट था कि मौके पर 12 फीट चौडा रास्ता कायम है जिसका न केवल अपीलार्थीगण बल्कि अन्य व्यक्ति भी उपयोग व उपभोग करते है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विधान के विपरित होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.06.2022 को निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी झुन्झनू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.12.2016 को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने कथन किया है कि खसरा नम्बर 2181, 2185, 2186 व 2199 में सन् 2016 से पहले तथा राजस्व रिकार्ड 2019 तक कोई प्रचलित रास्ता नही था इस बाबत पक्षकारान का एक दावा मदनलाल बनाम घड़सीराम मु.न. 155/2017 फैसला दिनांक 08.07.2013 है, उक्त दावा व निर्णय में रास्ता सम्बन्धी कोई हवाला नही दिया गया है। उन्होने आगे कथन किया है कि दिनांक 10.08.2016 को रास्ते की समस्या निवारण अभियान 2016 को रेस्पोडेन्ट को बिना सूचना दिये, रेस्पोडेन्ट को बिना सुने पटवारी बाबूलाल की कर्मचारियों से मिलीभगत के कारण उक्त खसरा नम्बर में एक आदेश बाला–बाला जारी करवा लिया तथा उस समय खाली पड़े प्लॉट का फायदा उठाकर लोगों ने आवागमन प्रारम्भ कर लिया तथा खाली पड़े प्लॉट को रेस्पोडेन्ट द्वारा खरीदा तो उस समय तक कोई रास्ता नही था। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विक्रय पत्रों के संलग्न नक्शा में दर्शित रास्ते के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपीलार्थीगण की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि उक्त वादग्रस्त अराजी पर प्लॉटिंग की गई प्रतीत होती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.2022 द्वारा 4 फीट का रास्ता कायम किया गया है जो उचित प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर एवं वादग्रस्त आराजीयात का मौका निरीक्षण कराते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें तब तक चालू रास्ते को कोई भी पक्षकारान बन्द नही करेंगे।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।